


# भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य

भाग 1  
कक्षा 11 के लिए पाठ्यपुस्तक



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्  
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

**ISBN 81-7450-594-6**

### प्रथम संस्करण

जून 2006 आषाढ़ 1928

### पुनर्मुद्रण

दिसंबर 2006 पौष 1928

अक्तूबर 2007 कार्तिक 1929

जनवरी 2009 पौष 1930

जनवरी 2010 माघ 1931

दिसंबर 2010 अग्रहायण 1932

जनवरी 2011 माघ 1932

जनवरी 2014 पौष 1935

मार्च 2017 फाल्गुन 1938

अक्तूबर 2017 कार्तिक 1939

नवंबर 2017 अग्रहायण 1939

नवंबर 2018 कार्तिक 1940

जनवरी 2019 पौष 1940

सितंबर 2019 भाद्रपद 1941

**PD 20T RSP**

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2006

**₹ 100.00**

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा देवटैक पब्लिशर्स एवं प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 14/3 बोलटान कम्पाउंड, मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 003 (हरियाणा) द्वारा मुद्रित।

### सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जित्त के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है रखड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

### एन सी ई आर टी के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस

श्री अरविंद मार्ग

नयी दिल्ली 110 016

फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड

हेली एक्सरेंशन, होस्टेकरे

बनाशकरी III इस्टेज

बैंगलूरु 560 085

नवजीवन ट्रस्ट भवन

डाकघर नवजीवन

अहमदाबाद 380 014

फोन : 080-26725740

श्री.डब्ल्यू.श्री. कैंपस

निकट: धनकल बस स्टॉप पनहटी

कोलकाता 700 114

फोन : 033-25530454

श्री.डब्ल्यू.श्री. कॉम्प्लैक्स

मालीगांव

गुवाहाटी 781021

फोन : 0361-2674869

### प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	: एम. सिराज अनवर
मुख्य संपादक	: श्वेता उप्पल
मुख्य उत्पादन अधिकारी	: अरुण चितकारा
मुख्य व्यापार प्रबंधक	: बिबाष कुमार दास
संपादक	: रेखा अग्रवाल
उत्पादन सहायक	: प्रकाश वीर सिंह

### आवरण एवं सज्जा

श्वेता राव

### कार्टोंग्राफी

नरेन्द्र कुमार सैनी एवं

कार्टोंग्राफिक डिजाइन

एजेंसी, नयी दिल्ली

## आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धान्त किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभावश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अन्तराल बनाये हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास हैं। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केन्द्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज्ञादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूँझकर नये ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों व स्रोतों की अनदेखी किये जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक ज़िन्दगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेण्डर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान व अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत व बहस, और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् सामाजिक विज्ञान सलाहकार समूह

के अध्यक्ष प्रोफेसर हरि वासुदेवन और इस पुस्तक के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर एम.एच. कुरैशी की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान दिया; इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री और सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरन्तर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

नई दिल्ली  
20 दिसंबर 2005

निदेशक  
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान  
और प्रशिक्षण परिषद्

## **पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति**

**अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति**  
हरि वासुदेवन, प्रोफेसर, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता

### **मुख्य सलाहकार**

एम.एच. कुरैशी, प्रोफेसर, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,  
नयी दिल्ली

### **सदस्य**

एस.एम. राशिद, प्रोफेसर, जामिया मिल्लिया इसलामिया, नयी दिल्ली  
रूपा दास, पी.जी.टी., डी.पी.एस., आर. के. पुरम, नयी दिल्ली  
वॉय. श्रीकांत, लैक्चरर, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और  
प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली  
सुचारिता सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू  
विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली

### **हिन्दी अनुवाद**

राजेश्वरी जागलान, लैक्चरर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र  
स्पैक्ट्रम कम्प्यूनिकेशन्स, नयी दिल्ली

### **सदस्य-समन्वयक**

तनु मलिक, लैक्चरर, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक  
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली

## भारत का संविधान

### उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक <sup>1</sup>[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,  
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म  
और उपासना की स्वतंत्रता,  
प्रतिष्ठा और अवसर की समता  
प्राप्त कराने के लिए,  
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और <sup>2</sup>[राष्ट्र की एकता  
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता  
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

- 
1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) “प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
  2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) “राष्ट्र की एकता” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

## आभार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् इस पुस्तक के निर्माण में सहयोग देने हेतु मिलाप चंद शर्मा, रीडर, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय; मुजमिल हुसैन क़ासमी, लैक्चरर, आई.ए.एस.ई., जामिया मिल्लिया इसलामिया; अरुणा गोर्डन, पी.जी.टी., सेंट थॉमस स्कूल, नयी दिल्ली एवं सी. पारगी, पी.जी.टी., केंद्रीय विद्यालय, नीमच के प्रति आभार व्यक्त करती है।

परिषद् सविता सिन्हा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग) के प्रति भी अपनी कृतज्ञता अर्पित करती है, जिन्होंने प्रत्येक स्तर पर इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण में अपना अमूल्य सहयोग दिया।

परिषद् वीर सिंह आर्य, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (अवकाश प्राप्त), वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार; के. के. शर्मा, प्रिंसिपल (अवकाश प्राप्त), अजमेर; नरेश कुमार बघामार, रीडर, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर; डी.डी. चौनियाल, रीडर, एच.एन.वी. गढ़वाल वि. वि., श्रीनगर का भी आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने प्रत्येक स्तर पर इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण में अपना अमूल्य सहयोग दिया।

परिषद् भारतीय सर्वेक्षण विभाग को भी धन्यवाद देती है जिसने पाठ्यपुस्तक में प्रकाशित मानचित्रों को प्रमाणित किया। परिषद् निम्न सभी व्यक्तियों एवं संगठनों का आभार व्यक्त करती है जिन्होंने इस पाठ्यपुस्तक को सहज बनाने हेतु विभिन्न आकृतियाँ एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई-

मिलाप चंद शर्मा, रीडर, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को अध्याय 5 में मंद ढाल, खड़ा ढाल, अवतल ढाल, उत्तल ढाल, शंकवाकार पहाड़ी, पठार, V-आकार की घाटी, U-आकार की घाटी, महाखड़, पर्वतस्कं, भृगु एवं जलप्रपात के चित्रों के लिए; नरेन्द्र कुमार सैनी, जामिया मिल्लिया इसलामिया को चित्र 1.1, 1.15, 6.1, 7.1 8.3 तथा 8.5 के लिए; कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी (पुस्तक : फन्डामेन्टल्स ऑफ कार्टोग्राफी; लेखक : आर.पी.मिश्रा एवं ए. रमेश) नयी दिल्ली को चित्र 1.4, 1.5 एवं 1.6 के लिए; एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तक (रिमोट सेन्सिंग; लेखक मीनाक्षी कुमार) को चित्र 7.3 एवं 7.6 के लिए; भारतीय सर्वेक्षण विभाग को चित्र 1.2 एवं 1.3 तथा पृष्ठ संख्या 62 एवं 64 पर स्थलाकृतिक शीट के भागों के लिए; राष्ट्रीय एटलस एवं थिर्मैटिक मानचित्रण संगठन को चित्र 1.7, 1.8 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 एवं 1.12 के लिए; नेशनल रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी, देहरादून को चित्र 6.4, 6.6, 6.8, 6.9 एवं 6.10 के लिए; रीजनल रिमोट सेन्सिंग सर्विस सेन्टर, जोधपुर को चित्र 7.4 के लिए; नेशनल रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी, हैदराबाद को चित्र 7.9, 7.11, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16,

7.17 एवं पृष्ठ 102 पर बिम्ब के लिए; समाचार पत्र 'दि हिन्दू' को चित्र 6.2 के लिए एवं डिजिटल ग्लोब ऐजेन्सी को चित्र 7.10 के लिए।

परिषद् पाठ्यपुस्तक के निर्माण में उल्लेखनीय सहयोग देने हेतु अनिल शर्मा, डी.पी.टी. ऑपरेटर; अरविन्द सारस्वत एवं सतीश झा, कॉफी एडिटर; आनन्द बिहारी वर्मा, प्रूफ रीडर; दिनेश कुमार, कंप्यूटर स्टेशन प्रभारी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करती है। इसी संदर्भ में प्रकाशन विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. का सहयोग भी प्रशंसनीय है।

निम्नलिखित बिंदु इस पुस्तक में इस्तेमाल करे गए भारत के मानचित्रों के लिए लागू हैं

© भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2006

1. आन्तरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।
2. समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बाहर समुद्री मील की दूरी तक है।
3. चण्डीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चण्डीगढ़ में हैं।
4. इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य में दर्शायी गयी अन्तर्राजीय सीमाएँ, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुर्नगठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित हैं, परंतु अभी सत्यापित होनी हैं।
5. भारत की बाह्य सीमाएँ तथा समुद्र तटीय रेखाएँ भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सत्यापित अभिलेख/प्रधान प्रति से मेल खाती हैं।
6. इस मानचित्र में उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश, झारखण्ड एवं बिहार और छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के बीच की राज्य सीमाएँ संबंधित सरकारों द्वारा सत्यापित नहीं की गयी हैं।
7. इस मानचित्र में दर्शित नामों का अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

## विषय-सूची

आमुख

*iii*

अध्याय 1

मानचित्र का परिचय

1-15

अध्याय 2

मानचित्र मापनी

16-23

अध्याय 3

अक्षांश, देशांतर और समय

24-30

अध्याय 4

मानचित्र प्रक्षेप

31-44

अध्याय 5

स्थलाकृतिक मानचित्र

45-64

अध्याय 6

वायव फोटो का परिचय

65-79

अध्याय 7

सुदूर संबेदन का परिचय

80-102

अध्याय 8

मौसम यंत्र, मानचित्र तथा चार्ट

103-119

## भारत का संविधान

भाग-3 (अनुच्छेद 12-35)

(अनिवार्य शर्तों, कुछ अपवादों और युक्तियुक्त निर्बधन के अधीन)

द्वारा प्रदत्त

### मूल अधिकार

#### समता का अधिकार

- विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण;
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर;
- लोक नियोजन के विषय में;
- अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत।

#### स्वातंत्र्य-अधिकार

- अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वातंत्र्य;
- अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण;
- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण;
- छः से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा;
- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

#### शोषण के विरुद्ध अधिकार

- मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध;
- परिसंकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

#### धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

- अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता;
- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता;
- किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता;
- राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता।

#### संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

- अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषयक हितों का संरक्षण;
- अल्पसंख्यक-वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापन और प्रशासन।

#### सांविधानिक उपचारों का अधिकार

- उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने का उपचार।



# हमारा राष्ट्र-ध्वज

भारत का राष्ट्र-ध्वज यहाँ की धरती और लोगों का प्रतीक है। यह तीन रंग की समान चौड़ाई की आयताकार पट्टियों से बना है। सबसे ऊपरी पट्टी केसरिया और निचली हरे रंग की है। बीच की पट्टी श्वेत रंग की है जिसके केंद्र में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना है। इसमें समान दूरी पर स्थित 24 तीलियाँ बनी हैं। यह अशोक चक्र श्वेत पट्टी पर दोनों तरफ दिखता है। पूरा ध्वज आयताकार है जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है।

संविधान सभा में राष्ट्र-ध्वज के बारे में डॉ. राधाकृष्णन ने बताया था कि “भगवा या केसरिया रंग त्याग और निःस्वार्थता का प्रतीक है। श्वेत रंग प्रकाश और सत्य के पथ का जो हमारे आचरण को निर्देशित करता है। हरा, धरती और पेड़-पौधों के साथ हमारे संबंध को व्यक्त करता है, जिस पर सभी जीवन संबंध आश्रित हैं। अशोक चक्र धर्म के नियम का चक्र है। सत्य और धर्म उनका नियंत्रक सिद्धांत है जो इस ध्वज के नीचे काम करते हैं। फिर चक्र गति का प्रतीक भी है। गति में जीवन है। भारत को गतिमान रहना और आगे बढ़ना है।”

यदि इसे समुचित रूप से किया जाए तो सामान्य लोगों, निजी संस्थाओं और शिक्षा संस्थानों द्वारा राष्ट्र-ध्वज फहराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ध्वज की मर्यादा और सम्मान के अनुकूल, जो भारतीय राष्ट्र-ध्वज संहिता में विस्तार से लिखा हुआ है, कोई भी राष्ट्रीय-ध्वज सभी दिन, समारोह या अन्य अवसरों पर फहरा सकता है।

जहाँ किसी सार्वजनिक भवन पर ध्वज फहराने का चलन है, इसे रविवार और छुट्टियों के दिन भी फहराया जाता है। किंतु कोई भी मौसम हो, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही, जैसा ध्वज संहिता में निर्दिष्ट है। उस भवन पर किसी अत्यंत विशिष्ट अवसर पर रात में भी ध्वज फहराए रखा जा सकता है। राजकीय/सैनिक/अर्द्ध-सैनिक अंतिम संस्कारों के अतिरिक्त किसी अवसर पर राष्ट्रीय-ध्वज को कुछ लपेटने के कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। उन अवसरों पर भी ध्वज को चिता या कब्र में नहीं डाला जाता। ध्वज को किसी गाड़ी या नाव के ऊपर, बगलों में या पीछे लपेटा नहीं जा सकता। इसे इस तरह नहीं रखा जाता जिसमें यह गंदा हो या फट जाए। यदि ध्वज फट गया हो तो इसे जैसे-तैसे फेंक नहीं दिया जाता बल्कि सम्मानपूर्वक, एकांत में प्रायः जलाकर नष्ट किया जाता है। यद्यपि राष्ट्र-ध्वज का पोशाक या पहनावे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, किंतु कमर से नीचे या अधोवस्त्र के रूप में नहीं। इसे तौलिए या तकिए पर कढ़ाई, छपाई के रूप में प्रयोग करना वर्जित है। ध्वज के ऊपर कुछ लिखना भी मना है। इसे किसी तरह के विज्ञापन में भी उपयोग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय-ध्वज का निरादर करना दंडनीय अपराध है।

राष्ट्र-ध्वज को एक ही स्तंभ पर दूसरे ध्वज के साथ नहीं फहराया जा सकता। प्रत्येक ध्वज के लिए अलग-अलग ध्वज-स्तंभ होने चाहिए। जब कोई विदेशी महानुभाव सरकार द्वारा प्रदत्त कार में चलते हैं तो कार में आगे दाहिनी ओर अपने देश का राष्ट्र-ध्वज रहता है और अन्य देश का ध्वज बाईं ओर।

देश के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्र-ध्वज आधा झुका दिया जाता है।

पिछले पाँच दशक से भी अधिक समय से हमारे असंख्य सैनिकों और नागरिकों ने अपना बलिदान दिया है ताकि हमारा तिरंगा शान से फहराता रह सके। हमें अपने राष्ट्र-ध्वज को प्रणाम करना और उससे प्रेम रखना चाहिए।

## भारत का संविधान

### भाग 4क

## नागरिकों के मूल कर्तव्य

### अनुच्छेद 51 क

**मूल कर्तव्य** - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें;
- (घ) देश की रक्षा करे और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गैरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहें;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।